संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल– 462004

फार्मेसी (B.Pharm./D.Pharm.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम

सत्र 2008–09

तृतीय चरण की काउंसिलिंग के पश्चात् शेष रह गई सीटों पर **अर्हकारी परीक्षा के अंकों** (Qualifying Examination Marks) के आधार पर प्रवेश हेतु ऑन लाईन (Online) के द्वारा प्रवेश/प्रवेश के चांस लेने हेतु उम्मीदवारों से ऑन लाईन **आवेदन तथा संस्थाओं की प्राथमिकता क्रम** आमंत्रित किया जाता है । काउंसिलिंग हेतु उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगाः –

1) सर्वप्रथम उम्मीदवार वेबसाइट www.mptechedu.org या www.crispindia.com पर ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करवाएं । ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन फार्म वेबसाईट पर दिनांक 04/12/2008 को प्रातः 10 बजे से दिनांक 08/12/2008 रात्रि 8.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा ।

2) रजिस्ट्रेशन के दौरान अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार अर्हकारी परीक्षा (10+2 प्रणाली की 12 वीं परीक्षा) की अंकसूची तथा 1100/– रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट जोकि ''संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश'' के नाम से भोपाल में देय हो, स्कैन कर (.jpg image format में) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म के साथ अपलोड करना होगा ।

मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवार अर्हकारी परीक्षा (10+2 की 12वीं परीक्षा) की अंकसूची तथा 600/– रू0 का डिमाण्ड ड्राफ्ट जोकि ''संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश'' के नाम से भोपाल में देय हो, स्कैन कर (Image format .jpg) ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म के साथ अपलोड करना होगा ।

कृपया उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लेवें कि आवेदन भरने के पूर्व उनके पास अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करने के लिये उपलब्ध है । उक्त दोनों दस्तावेजों के अपलोड न करने की दशा में उम्मीदवार का रजिस्ट्रेशन अमान्य कर दिया जावेगा ।

अंकसूची एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी अपलोड करने के पश्चात ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन की आगे की कार्यवाही करें ।

3) सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के पश्चात उम्मीदवार को एक रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित होगा जिसे उम्मीदवार भविष्य में इसके उपयोग के लिये इसका प्रिंट लेकर सुरक्षित रख लेवें ।

4) रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद “Fill College Choice” Link के द्वारा उम्मीदवार को प्राथमिकतानुसार उपलब्ध रिक्त स्थानों वाली संस्थाओं की च्वाईस भरनी होगी । उम्मीदवार को उसकी मेरिट के आधार पर प्राथमिकताक्रमानुसार उपलब्ध रिक्त सीट आवंटित की जावेगी ।

5) उम्मीदवार को संस्था का आवंटन दिनांक 10/12/2008 को वेबसाईट पर जारी कर दिया जावेगा ।

6) आवंटन सूची जारी होने के पश्चात् उम्मीदवार अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक के द्वारा अपनी आवंटित संस्था की जानकारी ले सकेगा तथा उक्त एडमिशन स्लिप की प्रति प्रिंट कर प्राप्त कर ले ।

7) उम्मीदवार जिनको संस्था आवंटित हो चुकी है वे दिनांक 12 दिसंबर, 2008 तक अनिवार्य रूप से निम्नलिखित मूल दस्तावेजों तथा उनकी एक–एक फोटोकॉपी के साथ आवंटित संस्था में प्रवेश लेने हेतु उपस्थित होवें:–

1. अर्हकारी परीक्षा हायर सेकेण्डरी (10+2) प्रणाली की 12वीं की मूल अंकसूची ।
2. अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी मध्यप्रदेश मूलनिवासी प्रमाण–पत्र । (यदि लागू हो)
3. मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) की दशा में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र ।(यदि लागू हो)
4. अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) की दशा में अधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम आय प्रमाण–पत्र ।(यदि लागू हो)
5. डिमाण्ड ड्राफ्ट जोकि ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन के दौरान अपलोड किया गया था ।
6. दो पासपोर्ट साईज के फोटोग्राफ ।

विशेषः– यह आवश्यक है कि उम्मीदवार हायर सेकेण्डरी (10+2) प्रणाली की 12वीं में अनिवार्यतः फिजिक्स, केमिस्ट्री तथा मैथ्स/बॉयोलाजी विषय लेकर उत्तीर्ण हो ।

इस चरण की काउंसिलिंग में प्रवेशित उम्मीदवारों पर उपस्थिति एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों के लिये संबंधित विश्वविद्यालय के अध्यादेश बंधनकारी होंगे ।

आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में तथा आवंटन के पश्चात् निर्धारित अंतिम तिथि तक उपस्थित न होने वाले उम्मीदवारों का प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जावेगा ।

संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश